न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 91/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जेठाराम पुत्र पेमाराम उम्र वयस्क जाति सिरवी निवासी देवली पाबुजी उपतहसील खिवाडा जिला पाली।		राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार खिवाडा जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 एवं उप तहसीलदार खिवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 105/2016 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नम्बर 601 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से 0.018 हैक्टेयर किस्म गै.मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण दर्शाते हुए पटवारी हल्का देवजी पाबुजी ने उप तहसीलदार खिवाडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 06.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए उक्त भूमि से अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष प्रथम अपील दायर करवाई, किन्तु वहां भी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 को यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रकार की जांच नही की गई कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है अथवा नही ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सबूत ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। किसी प्रकार के साक्ष्य भी प्रदर्शित नहीं हुए। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी उसे माना जाता है, जिसके विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला हो। अपीलाण्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नही चला था, ऐसे किसी मुकदमे से संबधित कोई दस्तावेज या पत्रावली इस प्रकरण के रेकर्ड पर उपलब्ध नही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट 20.09.2016 के साथ अपीलांट द्वारा मौके पर गिरदावरी के सम्बन्ध में मौका रिर्पोट, खसरा परिवर्तन, जमाबन्दी, गिरदावरी रिर्पोट, संलग्न नही की, एवं न ही पटवारी द्वारा मौके पर जाकर उक्त रिर्पोट बनाई गई। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। तथा कब्जा न होने के संबध में अपीलांट शपथ पत्र हाजा न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नम्बर 601 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से 0.018 हैक्टेयर किस्म गै. मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम देवली पाबूजी तहसील रानी के खसरा नम्बर 601 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से 0.018 हैक्टेयर किस्म गै.मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त आराजी पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने पर उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए, 91 के तहत अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 21.10.2016 द्वारा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष प्रथम अपील दायर करवाई, किन्तु वहां भी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 को यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा होना तथा पूर्व में बेदखल किया जाना जाहिर किया। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का मुख्य उद्देश्य ही राजकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 एवं उप तहसीलदार खिवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 105/2016 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली